न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/2017 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00001

उनवान

1. कमल सिंह
2. करतार सिंह } पुत्रान स्व0 देवी सिंह
3. तारा सिंह
4. उदय सिंह } पुत्रान सम्पत सिंह
5. गजै सिंह

जाति जाट निवासी बाजौली तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रणजीत सिंह
2. हरवीर सिंह } पुत्रान समय सिंह जाति जाट निवासी बाजौली तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. बृजेन्द्र सिंह

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 25.10.2016 उनवानी रणजीत सिंह बनाम कमल सिंह मु0न0 146/2009

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री पुरूषोत्तम लाल मुदगल उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 08.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 25.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर पुराना 144 बन्दोबस्ती खसरा नम्बर नया 233 रकवा 0.27 एयर वाके ग्राम बाजौली तहसील

बयाना में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार रैस्पो0/प्रार्थी संख्या 01, 1/4 भाग का व रैस्पो0/प्रार्थी संख्या 02 व 03 वहिस्सा बराबर 3/4 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0/प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर में शामिल काश्त करते हैं। अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण लट्ठ के बल पर रैस्पो0/प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर को जबरन हडपना चाहते हैं। यदि अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो रैस्पो0/प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई एक पक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.27 है0 जो कि साविक खसरा नम्बर 144 रकबा 01 बीघा 13 विस्वा से निर्मित हुआ है के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं तथा उक्त विवादित आराजी बाबत् पूर्व में नियमित वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् रैस्पो0 के विरूद्ध चल चुका है तथा जिसमें दिनांक 28.07.2001 से न्यायालय हाजा ने अपीलाण्ट के हक में दावा डिक्री करते हुये, अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश से पाबन्द है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये अपीलाण्ट की बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी बाबत् रैस्पो0 ने धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम की प्रोसीडिंगस में अपीलाण्ट के हक में राजीनामा दिनांक 28.08.1962 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें उक्त खसरा नम्बर पर रैस्पो0 ने अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त माना है। अपीलाण्ट के पिता विवादित भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के समय पर भी खुदकाश्त मालिक काबिज रहे हैं तथा आज तक मौके पर काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र राजस्व अभिलेखों में रैस्पो0 के हो रहे गलत इन्द्राजों को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है एवं कब्जे के अभाव में खातेदार के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट्स के हक में मौजूद है। अपीलाधीन आदेश के रहते रैस्पो0 विवादित आराजी से अपीलाण्ट्स को बेदखल करने की कोशिश कर सकते हैं इससे अपरिमित क्षति भी अपीलाण्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के हक में बनती है। अपने तर्को के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 02.04.2004 की छायाप्रति पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत व न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.07.2001 से अपने पक्ष में फैसला होना कथन करते हैं वह आदेश माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 02.04.2004 से खारिज किया जा चुका है उक्त आदेश के रहते अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई स्वत्व नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने निर्णय में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के आवेदन पत्र की कार्यवाही में अपीलाण्ट के कथित राजीनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा को तर्कसंगत नहीं माना है। रैस्पो0 राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी में ना तो खातेदार हैं एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी बाबत् पूर्व में नियमित वाद वास्ते घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0 चलना एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.07.2001 से अपीलाण्ट के हक में दावा डिक्री होना कथन करते हैं। रैस्पो0 उक्त तथ्य को चुनौती देते हुये, अपीलाण्ट के कथित निर्णय दिनांक 28.07.2001 को माननीय राजस्व मण्डल से अपास्त होना कथन करते हैं। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वक्त बहस रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 02.04.2004 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपीलाण्ट के हक में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2001 को अपास्त किया है। वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने विवादित आराजीयात के संबंध में रैस्पो0 द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम की प्रोसीडिंगस में अपीलाण्ट के हक में कथित राजीनामा दिनांक 28.08.1962 एवं 23.09.1961 पर जोर दिया गया है। परन्तु माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने निर्णय दिनांक 02.04.2004 में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के आवेदन पत्र की कार्यवाही में अपीलाण्ट का कथित राजीनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा को तर्कसंगत नहीं माना है। अतः माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के रहते अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई स्वत्व नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2063–66 एवं अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2067–70 में विवादित आराजीयात पर रैस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। अतः एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में बखूबी साबित होती हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 25.10.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official